आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.......03........./17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19J-8839

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
25.6.18	अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक मे वाद संख्या Special 52/17 दिनांक– 05.04.2017 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) में जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-8839 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अधीक्षक उत्पाद द्वारा बताया गया कि सहायक अवर निरीक्षक, राजेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक– 05.04.2017 को रक्त काली मंदिर मत्स्यगंधा के सामने सड़क पर थाना व जिला–सहरसा के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल हीरो स्पेलेन्डर प्लस से आता हुआ दिखाई दिया तो उसे रोककर उक्त मोटर साईकिल रजि0 नं0– BR-19J-8839 को चेक किया तो उसमें 02 बोतल विदेशी शराब प्रत्येक 375 एम0एल0, विदेशी शराब मोटर साईकिल के डिक्की से बरामद हुआ। मोटर साईकिल चालक बचन देव कुमार पिता–सिफैत यादव, ग्राम–सिसई, थाना–सदर, जिला–सहरसा का है। बचनदेव कुमार पर अभियोग दर्ज करते हुए उक्त वाहन को शराब के साथ जप्त कर लिया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।	

25.6.18

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी सहरसा

विपक्षीगण वाहन मालिक के विद्वान, अधिवक्ता, को सुना तथा उक्त वाहन के अवैध शराब के कारोबार में लिप्त नहीं रहने सम्बधित कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकें। उनके द्वारा दिए गये कारण पृच्छा में कहा गया कि अभियुक्त 60% विकलांग है और मोटर साईकिल नहीं चला सकता। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है तथा अभियुक्त स्वयं मोटर साईकिल चला रहा था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः इस वाद के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– **BR-19J-8839** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विकी राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

26.07.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

26.6.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहरणालय सहरसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 763-2 / विधि, दिनांक 03-06-17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.6.17

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।

26.5.17

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी सहरसा